भारतीय फुटवियर, चमड़ा एवं सहायक सामान विकास कार्यक्रम की मेगा चमड़ा, फुटवियर एवं सहायक सामान कलस्टर उप स्कीम संबंधी दिशा-निर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1 चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान है। यह क्षेत्र, अत्यधिक निर्यात अर्जन में निरंतरता के लिए जाना जाता है तथा देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाले दस शीर्ष उद्योगों में से एक है। यह एक रोजगार प्रधान उद्योग है जो लगभग2 . 5मिलियन लोगों,अधिकांशत :समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को नौकरियां उपलब्ध कराता है जिसमें लगभग 30% से अधिक हिस्सा महिलाओं का है। भारतीय चमड़ा उद्योग में कच्ची सामग्री की प्रमुखता है क्योंकि भारत में विश्व के21 % मवेशी एवं भैंस तथा विश्व की11 % बकरियां एवं भेड़े पाई जाती हैं।

1.2 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग कम लाभांतर पर कार्य करता है। मौजूदा उद्यमियों की जोखिम उठाने की कम क्षमता को ध्यान में रखते हुए तब तक इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में निवेश आकर्षित करने में कठिनाई होगी जब तक कि सरकार भी व्यापक तौर पर अवसंरचना का सृजन करने में भाग न ले। मेगा लेदर, फुटवियर एवं सहायक सामान कलस्टर की परिकल्पना में देश में एकीकृत उत्पाद श्रृंखला के साथ बड़ी अवसंरचना की अड़चनों को दूर करने की अपेक्षा की गई है।

2. उद्देश्य एवं रणनीति

2.1 मेगा लेदर, फुटवियर एवं सहायक सामान कलस्टर को विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य विश्व स्तरीय अवसंरचना का सृजन करना तथा उत्पादन श्रृंखला का एकीकरण इस प्रकार करना है कि घरेलू बाजार और निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चमड़ा उद्योग की कारोबारी अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके । संक्षेप में, ये मेगा कलस्टर आधुनिक अवसंरचना, अद्यतन प्रौद्योगिकी तथा पर्याप्त प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास (एच आर डी) निविष्टि वाली विश्व स्तरीय इकाइयों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों की सहायता करेंगे। मेगा लेदर, फुटवियर एवं सहायक सामान कलस्टर को विकसित करने से रोजगार के विशेषतौर से समाज के कमजोर वर्ग के लिए, अतिरिक्त अवसरों का सृजन करने में सहायता मिलेगी।

2.2 ये मेगा लेदर, फुटवियर एवं सहायक सामान कलस्टर, चमड़ा, फुटवेयर सामानों तथा घटकों, चमड़ा सामग्रियों (दस्तानों सहित), चमड़े के कपड़ों तथा जीनसाजी एवं साज सज्जा की मदों नामक सभी खण्डों की उत्पादन इकाइयों का समूह हो सकता है।

3. **उप-स्कीम का कार्य क्षेत्र**

श्रमिकों के लिए लाभ तथा कच्ची सामग्री की उपलब्धता के मद्देनजर चमड़ा इकाइयों की प्रधानता वाले राज्यों सहित चमड़ा तथा फुटवियर इकाइयों की प्रधानता वाले राज्यों सहित चमड़ा क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त क्षमता वाले राज्यों में भी मेगा लेदर, फुटवियर तथा सहायक सामान कलस्टर को विकसित करने का प्रस्ताव है। यह योजना मांग संचालित होगी तथा नैदानिक अध्ययन के साथ इस उद्योग से डीपीआर की प्राप्ति होने पर उन स्थानों में उत्पादन पूर्व और उत्पादनोत्तर सुविधाओं की उपलब्धता सहित सही स्थान की पहचान की जाएगी। ऐसे कलस्टरों में विश्व स्तरीय अवसंरचना होगी तथा पत्तनों के साथ इसका अच्छा संयोजन होगा। प्रत्येक मेगा लैदर, फुटवियर तथा सहायक सामान कलस्टर की पूर्ण प्रतिस्थापना के लिए अधिकतम समय-सीमा 5 वर्ष होगी। प्रस्तावित परिणामों के आधार पर मेगा लेदर, फुटवियर तथा सहायक सामान क्लस्टर का चुनाव किया जाना चाहिए तथा सर्वश्रेष्ठ परिणामों वाले प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाना चाहिए। ब्राऊनफील्ड क्लस्टरों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. **परियोजना घटक**

4.1 अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के अनुसार क्लस्टर में न्यूनतम सामान्य सुविधाएं अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी हैं।

4.2 भूमि विकास लागत

भूमि विकास लागत में सुरक्षित परिसर की दीवार, तारबाड़ी तथा कार्य स्थल विकसित करना शामिल है।

4.3 अवसंरचना

क. प्रमुख अवसंरचना:- सड़क नेटवर्क, आंतरिक विद्युत संयंत्र की प्रतिस्थापना सहित विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति प्रणाली, वर्षा जल एकत्रण सुविधा के साथ जल भंडारण चक्रवात जल निकासी एवं नालियां, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षित परिसर की दीवार/तारबाड़ी, ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/सामान्य बहिस्राव निपटान संयंत्र, साइनेज, भूमि निर्माण तथा प्रवेश निकास द्वारा तथा पार्किंग सुविधाएं।

ख. सामाजिक अवसंरचना:- सामान्य सुविधा केन्द्र जिनमें गोदाम, व्यापार/ प्रदर्शन/ प्रदर्शनी/ सम्मेलन/सूचना केन्द्र, डिजाइन केन्द्र, शिल्प आधारित संसाधन केन्द्र, शयनशाला सहित हॉस्टल, कच्ची सामग्री भंडार तथा संप्रेषण नेटवर्क (ब्रोडबैंड सर्विस सहित), प्रशासनिक भवन, अग्निशयन स्टेशन, जैसी अतिरिक्त सामान्य सुविधाएं विकलांगों के लिए बेहतर वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सुविधाएं शामिल हैं। भारत सरकार/ राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के अनुरूप ही डाक घर, स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक विद्यालय का प्रावधान किया जाए।

ग. उत्पादन अवसंरचना:- मशीनरी/उपस्कर के लिए प्लग-ईन सुविधा के साथ उपयोग के लिए तैयार फैक्टरी शेड्स ।

घ. एचआरडी एवं सामाजिक अवसंरचना:- प्रशिक्षण केन्द्र, भर्ती केन्द्र, कार्यप्रवाह प्रशिक्षण केन्द्र, एलसीडी प्रोजेक्टर वाले क्लासरूम, पुस्तकालय, मनोरंजन केन्द्र,कामगार आवास, संकाय कक्ष, क्रैच एवं कैंटीन, श्रमिकों के लिए आराम कक्ष, प्रबंधन परामर्श केन्द्र।

इ. अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना:- उत्पाद डिजाइन एवं विकास समर्थन केन्द्र, परीक्षण प्रयोगशाला, गुणवत्ता बेंचमार्क केंद्र, माल अनुसंधान, मूलभूत उत्पाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान, प्रतिस्पर्धा पूर्व सहयोत्मक अनुसंधान एवं मार्केट अनुसंधान।

च. निर्यात सेवा संबंधी अवसंचना- निपटान एजेंट, सीमा शुल्क/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवा कर कार्यालय तथा डीजीएफटी का संपर्क कार्यालय।

4.4 क्षमता निर्माण

अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा ऐसी अन्य विकासात्मक पहलों के अनुसार सामान्य विपणन प्रयास, ब्रांडिंग, प्रौद्योगिकी जुटाना, कौशल विकास, गुणवत्ता एवं पर्यावरण संबंधी प्रमाणन एवं उत्तम पद्धतियों को कार्यान्वित किया जा सकता है जिनका उद्देश्य इन कलस्टर में इकाइयों की क्षमता में सुधार करना है।

4.5 एसपीवी के द्वारा परामर्शदाता की नियुक्ति

यदि ऐसी इच्छा जाहिर की जाती है तो परियोजना को कार्यान्वित करने वाली एसपीवी परियोजना के डिजाइन तथा विकास में उचित एवं परामर्शी तरीके से सहायता के लिए ऐसे परामर्शदाता/ठेकेदार की नियुक्ति कर सकती है जिसे गत समय में इसी प्रकार की कम से कम तीन ग्रीन-फील्ड अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की स्थापना के लिए नियुक्त किए जाने का अनुभव हो। इस कार्य की लागत को अवसंरचना की लागत के 3% तक सीमित किया जाना चाहिए जैसा कि उपर दिया गया है और इसके लिए वित्त पोषण परियोजना कार्यान्वयन लागत में से किया जाएगा।

4.6 अन्य व्यय

कोई अन्य व्यय होने का तात्पर्य नैदानिक अध्ययन पर प्रचालन-पूर्व व्यय तथा इस एसपीवी को निगमित करने के लिए सांविधिक व्यय होना है।

5. सहायता का पैटर्न

5.1 मेगा लेदर फुटवियर एवं सहायक सामान कलस्टर उप स्कीम के प्रयोजनार्थ कुल परियोजना लागत में भूमि विकास, अवसंरचना, क्षमता निर्माण तथा एसपीवी के द्वारा परामर्शदाता की नियुक्ति के चलते हुई लागत शामिल है। भारत सरकार से सहायता एमएलएफएसी के कुल भूमि क्षेत्र पर निर्भर करते हुए निम्न सीमाओं के शर्ताधीन परियोजना लागत के 50% तक प्रदान की जा सकती है:-

(क) 60 एकड़ भूमि तक का एमएलएफएसी क्षेत्र - भारत सरकार सहायता 50 करोड़ रु. तक सीमित;

(ख) 100 एकड़ भूमि तक का एमएलएफएसी क्षेत्र - भारत सरकार सहायता 70 करोड रु. तक सीमित;

(ग) 150 एकड़ भूमि का एमएलएफएसी क्षेत्र - भारत सरकार सहायता 105 करोड रु. तक सीमित;

(घ) 151 एकड़ से अधिक भूमि का एमएलएफएसी क्षेत्र - भारत सरकार सहायता 125 करोड रु. तक सीमित ।

5.2 एसपीवी/उद्योग को इस परियोजना के लिए भूमि की अपनी लागत पर व्यवस्था करनी होगी। उन एसपीवी को वरीयता दी जाएगी जिनके पास या तो उनकी अपनी लागत से अथवा राज्य सरकार के जरिए भूमि पहले से ही है। एसपीवी यह भी सुनिश्चित करेगा कि वह प्रस्तावित भूमि, जहां मेगा लेदर, फुटवियर एवं सहायक सामान कलस्टर की योजना बनाई गई है, यदि ऐसी भूमि उन शहरों/कस्बों की सीमा के भीतर है, संबंधित शहर/कस्बे के औद्योगिक क्षेत्र/जोन के अनुरूप हैं।

5.3 संबंधित एसपीवी से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव के उपयुक्त मूल्यांकन के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा परियोजना से परियोजना के लिए घटक-वार सहायता राशि निर्धारित की जाएगी।

6. कार्यान्वयन प्रणाली

6.1 विशेष प्रयोजन माध्यम

(i) प्रत्येक मेगा लेदर, फुटवियर एवं सहायक सामान कलस्टर परियोजना को एक विशेष प्रयोजन माध्यम के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। सहायता ऐसे एसपीवी को उपलब्ध कराई जाएगी जो इस प्रयोजनार्थ विधिवत पंजीकृत एक वैध कंपनी हो। इस एसपीवी को चमड़ा तथा/अथवा फुटवियर उद्योग मूल्य श्रृंखला में लगी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निजी कंपनियों, सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत उद्योग संगठनों, वित्तीय संस्थाओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों अथवा इनकी एजेंसियों तथा चमड़ा तथा/अथवा फुटवियर

उद्योग के भीतर की इकाइयों के द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। एसपीवी के ढ़ांचे का अनुमोदन परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करते समय अधिकार प्राप्त समिति के द्वारा किया जाएगा।

(ii) इस एसपीवी के बोर्ड में निदेशक के तौर पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एसपीवी को ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं में ऐसे औद्योगिक प्लॉटों जिनमें रेडी-टू-यूज फैक्टरी शेड्स के स्वामी सामान्य सुविधाओं के प्रचालक/अनुरक्षणकर्ता तथा सीएलई के क्षेत्रीय अध्यक्ष में से प्रत्येक का कम से कम एक प्रतिनिधि शामिल होगा।

6.2 विशेष प्रयोजन माध्यमों की भूमिका

(i) यह एसपीवी मेगा लेदर, फुटवियर एवं सहायक सामान कलस्टर के लिए तैयार की गई जनोपयोगी सुविधाओं तथा अवसंरचना का रख रखाव करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसे लागत की तथा भविष्य के विस्तार की वसूली के लिए सेवा तथा प्रयोक्ता प्रभार एकत्र करने का अधिकार प्राप्त होगा। इसका ढ़ांचा इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि वह धनात्मक राजस्व दृष्टिकोण के साथ आत्मनिर्भर हो।

(ii) यह एसपीवी परियोजना के प्रत्येक घटक कार्यान्वयन का समन्वय करने के लिए जिम्मेवार होगा।

(iii) इस एसपीवी को भारत सरकार की नीति के अनुसार मेगा लेदर, फुटवियर एवं सहायक सामान कलस्टर का कार्यान्वयन करने हेतु सभी ठेके प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए।

6.3 एसपीवी के द्वारा भूमि/शेड आबंटन

(i) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की अधिकार प्राप्त समिति आबंटन कार्य में निरंतरता एवं पारदर्शिता लाने के लिए पणधारियों के परामर्श से मेगा लेदर, फुटवियर एवं सहायक सामान कलस्टर में उपयोग हेतु तैयार शेड्स तथा भूमि का आबंटन करने के लिए एक सामान्य नियमावली तैयार करेगी। एसपीवी इन नियमों की रूपरेखा के भीतर (लेट के रूप मेंएक टेम्प) शेड्स आदि का आबंटन करेगा जो चमड़ा/केवल उन इकाइयों को ही भूमि एवं फुटवियर, चमड़ा उत्पादों अथवा इनके घटकों सहित चमड़ा सामग्रियों के विनिर्माण के कार्य में लगी है।

(ii) उपरोक्त नियमावली के ढांचे के भीतर यह एसपीवी औद्योगिक प्लॉटोंउपयोग के लिए तैयार / प्रभार का सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए प्रयोक्तारी शेड्स के आबंटन के लिए तथा सामान्यफैक्ट निर्धारण करने के लिए एक पारदर्शी एवं न्यायोचित नीति का एक मसौदा तैयार करेगी ।

(iii) उपरोक्त नीति के कार्यान्वयन हेतु एसपीवी एक स्थायी समिति का भी गठन करेगी। इस प्रयोजनार्थ गठित स्थायी समिति में अनिवार्यत सरकारकेन्द्र :, राज्य सरकार तथा वित्तीय

संस्थानों से प्रतिनिधि शामिल होगें तथा सभी निर्णय एक मुक्त एवं पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए लिए जाएंगे।

6.4 परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी)

(i) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग एक पारदर्शी तकनीकी बोली प्रक्रिया के जरिए व्यावसायिक एजेंसियों के एक पैनल की नियुक्ति करेगा। पैनल में शामिल किए गए पीएमसी को प्रत्येक अनुमोदित एमएलएफएसी के लिए अलग से एक शुल्क का भुगतान जो भारत सरकार की सहायता का 1% तक सीमित होने की शर्ताधीन होगा तथा यह एसपीवी को किस्तें जारी करने के साथ साथ जारी किया जाएगा। किसी पीएमसी को दी जाने वाले राशि तथा किसी कलस्टर विशेष परियोजना के लिए नियुक्त पीएमसी को किए जाने वाले भुगतान की अनुसूची का निर्णय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिया जा सकता है।

(ii) पीएमसी का एसपीवी के साथ हितों के बीच किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए।

6.5 परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की भूमिका

पीएमसी निम्नलिखित कार्यों में विभाग की सहायता करेगा:

- मांग और क्षेत्र की संभाव्यता के वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर एमएलएफएसी की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करना।
- स्थानीय उद्योग की भागीदारी से प्रत्येक परियोजना स्तर पर एसपीवी के गठन को सुकर बनाना ।
- मेगा लेदर, फुटवियर एवं सहायक सामान क्लस्टर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- प्रस्ताव/डीपीआर का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन ।
- परियोजना के अनुमोदन के समय ही परियोजना की निगरानी के लिए लक्ष्य निर्धारित करना।
- इस योजना के तहत परियोजनाओं के लिए उपयुक्त निगरानी और मूल्यांकन तंत्र बनाना।
- परियोजनाओं की प्रगति की आवधिक निगरानी।
- योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में सरकार को अन्य आवश्यकता आधारित परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना और
- विभाग द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार परियोजना (परियोजनाओं) का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करना।

6.6 राज्य सरकार की भूमिका

निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्य सरकार की भूमिका की परिकल्पना की गई है:-

(i) एमएलएफएसी की स्थापना के लिए आवश्यकता होने पर पर्यावरण मंजूरी सहित सभी अपेक्षित मंजूरियां प्रदान करना तथा एमएलएफएसी को विद्युत, जल और अन्य सुविधाओं के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।

(ii) उपयुक्त भूमि की पहचान तथा अधिप्राप्ति में सहायता करना।

(iii) लचीला तथा प्रेरक श्रमिक वातावरण उपलब्ध कराना तथा एमएलएफएसी में स्थित इकाइयों के लिए स्टांप शुल्क आदि में छूट जैसी विशेष सुविधाओं पर विचार करना।

(iv) परियोजना की समग्र प्रभावोत्पादकता और दक्षता के लिए इसे अन्य संबंधित योजनाओं के साथ जोड़ना।

(v) राज्य सरकार एसपीवी बोर्ड में एक प्रतिनिधि को नामित करके एसपीवी में भी भागीदारी कर सकती है।

7. अनुमोदन प्रक्रिया

7.1 अधिकार प्राप्त समिति

यह विभाग एमएलएफएसी परियोजनाएं अनुमोदित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य हितधारकों के प्रतिनिधित्व वाली एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगा।

7.2 अनुमोदन प्रक्रिया

मेगा लेदर, फुटवियर एवं सहायक सामान क्लस्टर के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित चरण अपेक्षित होंगे:-

चरण-1: मेगा लेदर, फुटवियर एवं सहायक सामान क्लस्टर (एमएलएफएसी) के तहत सिद्धांतत: अनुमोदन

(i) प्रवर्तकों द्वारा प्रारंभिक प्रस्ताव (पीपी) प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) पीपी में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों की अनुमानित गुंजाइश, भूमि के आबंटन और उपलब्धता, एसपीवी की संरचना और विकास संभावना के साथ वित्तीय साधनों आदि सहित प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं शामिल होंगी।

(iii) पीएमसी द्वारा मूल्यांकन के बाद सिद्धांतत: अनुमोदन के लिए पीपी पर विचार किया जाएगा।

नोट:

(i) ऐसा सिद्धांतत: अनुमोदन, अनुमोदन की तिथि से छ: माह की अवधि के लिए वैध होगा।

(ii) यदि सिद्धांतत: अनुमोदन की तिथि से छ: माह के भीतर डीपीआर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो सिद्धांतत: अनुमोदन अपने आप रद्द हो जाएगा, जब तक कि विभाग द्वारा इसे विशेष रूप से न बढ़ाया गया हो।

चरण-2: एमएलएफएसी के तहत डीपीआर तैयार करना

(i) विशिष्ट स्थान में मांग और संभाव्यता के आधार पर सामान्य सुविधा और अवसंरचना की आवश्यकताओं का नैदानिक अध्ययन करने के बाद डीपीआर बनाया जाएगा।

(ii) डीपीआर की सामान्य संरचना व्यय विभाग (पीएफ-II) के का.ज्ञा.सं.1(2)-पीएफ.II/03, दिनांक 7 मई, 2003 के दिशा-निर्देशों में दिए गए अनुसार होगी।

चरण-3: पीएमसी द्वारा डीपीआर का मूल्यांकन किया जाएगा। पीएमसी द्वारा यदि कोई संशोधन सुझाए गए हों तो उनको शामिल करने के बाद अंतिम डीपीआर प्रस्तुत करने से पहले निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना अपेक्षित है:-

- परियोजना विशिष्ट एसपीवी की स्थापना और समावेशन
- एसपीवी द्वारा अपेक्षित भूमि हासिल करना
- एसपीवी और अन्य सदस्यों के बीच हितधारक करार और अन्य संबंधित करारों को लागू करना
- इन दिशानिर्देशों में एसपीवी के लिए निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना।

चरण-4: नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट और डीपीआर के निष्कर्षों के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति डीपीआर को अंतिम अनुमोदन देगी।

8. निधि जारी करना

(i) एसपीवी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अनन्य परियोजना विशिष्ट न्यास एवं प्रतिधारण खाता (टीआरए) रखेगा, तथा सरकार की ओर से उस खाते में केवल ईसीएस के माध्यम से निधि जारी की जाएगी। तथापि निधि जारी किए जाने को, प्रस्ताव अनुमोदित करते समय चिह्नित उपलब्धियों/लक्ष्यों से जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर सरकार अनुदान सहायता के अपने हिस्से को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 4 चरणों में जारी करेगी:

(क) परियोजना के वित्तीय समापन तथा एसपीवी द्वारा संविदाएं प्रदान करने के बाद परियोजना को अंतिम अनुमोदन मिलने पर और एसपीवी द्वारा टीआरए में जमा किए गए आनुपातिक अंशदान (अर्थात एसपीवी के हिस्से का 25%) को दर्शाने वाले परियोजना विशिष्ट टीआरए का विवरण प्रस्तुत करने पर 25% (पहली किस्त) अग्रिम के रूप में ।

(ख) पहली किस्त के दो-तिहाई उपयोग से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा एसपीवी द्वारा टीआरए में जमा किए गए आनुपातिक अंशदान (अर्थात एसपीवी के हिस्से का 25%) को दर्शाने वाले परियोजना विशिष्ट टीआरए का विवरण प्रस्तुत करने पर 30% (दूसरी किस्त) ।

(ग) पहली किस्त के पूरे उपयोग तथा दूसरी किस्त के दो-तिहाई उपयोग से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तथा एसपीवी द्वारा टीआरए में जमा किए गए आनुपातिक अंशदान (अर्थात एसपीवी के हिस्से का 30%) को दर्शाने वाले परियोजना विशिष्ट टीआरए का विवरण और एसपीवी द्वारा अपनी निधि में से किए गए अनुपातिक व्यय का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर 30% (तीसरी किस्त) ।

(घ) अनुमोदित डीपीआर के अनुसार परियोजना की सभी अवसंरचना सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद तथा एमएलएफएसी में 25% चमड़ा इकाइयों के उत्पादन शुरू करने तथा एसपीवी और पीएमसी द्वारा इसे प्रमाणित करने के बाद तथा दूसरी और तीसरी किस्त के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 15% (चौथी और अंतिम किस्त) हिस्सा जारी किया जाएगा।

(ii) एसपीवी उपयोग प्रमाण पत्र, रसीद सहित बिल जैसे दस्तावेजों के साथ अपने दावे औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को प्रेषित करेंगे। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी की गई निधि के लिए एसपीवी अलग से खाते रखेगा, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा किए जाने के अध्यधीन होंगे।

(iii) एसपीवी प्रयोक्ता प्रभारों के जरिए प्रचालनात्मक और रख-रखाव संबंधी (ओएंडएम) लागतों की पूरी तरह वसूली करेंगे। भविष्य में विस्तार के लिए पुनर्निवेश हेतु एसपीवी को पट्टा किराए के रूप में वसूली प्राप्त होगी। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्थापना और ओएंडएम लागतों के लिए कोई आवर्ती अनुदान नहीं दिया जाएगा।

(iv) यदि कोई एसपीवी सरकारी सहायता का उपयोग करने से पहले परियोजना को पूरा करने से पीछे हट जाता है, तो उसे सरकारी सहायता को इस पर लगने वाले ब्याज, यदि कोई हो, सहित तुरंत सरकार को लौटाना चाहिए। इस विभाग की अधिकार प्राप्त समिति परियोजना के कार्यान्वयन में किसी भी कमी या विलंब के लिए लगने वाले दंडात्मक ब्याज का निर्णय करेगी।

9. परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन

9.1 पीएमसी द्वारा निगरानी के अलावा यह विभाग संचालन समिति के जरिए प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार इस स्कीम के तहत परियोजनाओं की प्रगति की आवधिक निगरानी और समीक्षा करेगा।

9.2 इस विभाग द्वारा नियुक्त पीएमसी समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली तैयार करेगा तथा इस विभाग को आवधिक रिपोर्टें/विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

9.3 विभाग द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति तथा विभाग द्वारा गठित की जानी वाली परियोजना प्रबंधन समिति अनुसूची के अनुसार प्रभावी समयबद्ध परियोजना मूल्यांकनों, अनुमोदनों, शीघ्र निधि जारी करने को सुनिश्चित करने, परियोजना पूरा करने तथा परिणामों की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए उचित चयन मानदंड निर्धारित कर सकती है।

****